उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

सूचना/ विज्ञप्ति

उ0प्र0 पुलिस में पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा)की सीधी भर्ती–2020 की चयन प्रकिया के अन्तर्गत कम्प्यूटर टंकण परीक्षा एवं आशुलिपि परीक्षा की प्रकिया

संख्याःपीआरपीबी- एक-1(लि0सं0)/2020 (विज्ञप्ति) दिनांकः दिसम्बर 22, 2021

उ0प्र0 पुलिस में पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) की सीधी भर्ती– 2020 की विज्ञप्ति संख्या पीआरपीबी- एक-1(लि0सं0)/ 2020 (विज्ञप्ति) दिनांक 23.03.2021 को प्रख्यापित की गयी हैं। यह भर्ती उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय .सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 यथासंशोधित 2020 के अधीन सम्पन्न की जा रही है जिसमें पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक) एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा) के पद हेतु टंकण एवं आशुलिपिक परीक्षा हेतु निम्नवत् प्रॉवधान हैः–

1– <u>पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)</u>

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 यथासंशोधित 2020 के नियम 10 का उपनियम–3(ख) (ग) में निम्नानुसार अभिलिखित है –

<u>उप नियम 3(ख)</u>

कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अग्रेजी टंकण (इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित) किया जाये।

<u>उप नियम 3(ग)</u>

न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी आशुलिपि श्रुतलेख। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा अवधारित शुद्वता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा।

2– <u>पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लिपिक)</u>

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 यथासंशोधित 2020 के नियम 10 के उपनियम–1(ख) में निम्नानुसार अभिलिखित हैः–

उप नियम 1(ख)

कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अग्रेजी टंकण (इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित) किया जाये।

3– पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा)

उ0प्र0 पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 यथासंशोधित 2020 के नियम 10 के उपनियम–2 (ख) में निम्नानुसार अभिलिखित है –

उप नियम 2(ख)

कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी टंकण (इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का प्रयोग करते हुए यूनिकोड आधारित या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित) किया जाये।

उपरोक्त भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत अंग्रेजी एवं हिन्दी टंकण परीक्षा तथा आशुलिपिक परीक्षा के मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं मानक निम्नानुसार निर्धारित किये गये है –

1– **पुलिस उप निरीक्षक (गोपनीय)**

कम्प्यूटर टंकण परीक्षा

टंकण की भाषा	**गति**	**टंकण हेतु निर्धारित समय**	**टंकण के लिये दिये गये कुल शब्द(लगभग)**	**शुद्वता का प्रतिशत**	**दो परीक्षाओं के मध्य अन्तराल**
अंग्रेजी टंकण	30 शब्द प्रति मिनट	15 मिनट	500	85 प्रतिशत	अंग्रेजी एवं हिन्दी टंकण परीक्षा के मध्य का अन्तराल 10 मिनट
हिन्दी टंकण	25 शब्द प्रति मिनट	15 मिनट	400	85 प्रतिशत	

आशुलिपि परीक्षा– हिन्दी आशुलिपि श्रुतलेख परीक्षा की अर्हकारी गति 80 शब्द प्रति मिनट की है, जिसमें 05 मिनट में कुल 400 शब्दों का डिक्टेशन दिया जायेगा तथा श्रुतलेख के हिन्दी में टंकण (ट्रांसक्रिप्शन) हेतु 40 मिनट का समय दिया जायेगा। उक्त परीक्षा में कुल शब्दों की 15 प्रतिशत तक की त्रुटि अनुमन्य होगी। 15 प्रतिशत से अधिक त्रुटि करने वाले अभ्यर्थी असफल माने जायेगें। हिन्दी आशुलिपि श्रुतिलेख के लिये आशुलिपि के परीक्षा केन्द्र/स्थान पर बोर्ड अथवा प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा शार्टहैण्ड नोटबुक प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को स्वयं की शार्टहैण्ड नोटबुक लाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा निर्धारित केन्द्रो में किया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को आशुलिपि परीक्षा से कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

2— <u>पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लिपिक)</u>
<u>कम्प्यूटर टंकण परीक्षा</u>

टंकण की भाषा	गति	टंकण हेतु निर्धारित समय	टंकण के लिये दिये गये कुल शब्द(लगभग)	शुद्वता का प्रतिशत	दो परीक्षाओं के मध्य अन्तराल
अंग्रेजी टंकण	30 शब्द प्रति मिनट	15 मिनट	500	85 प्रतिशत	अंग्रेजी एवं हिन्दी टंकण परीक्षा के मध्य का अन्तराल 10 मिनट
हिन्दी टंकण	25 शब्द प्रति मिनट	15 मिनट	400	85 प्रतिशत	

3— <u>पुलिस सहायक उप निरीक्षक (लेखा)</u>
<u>कम्प्यूटर टंकण परीक्षा</u>

टंकण की भाषा	गति	टंकण हेतु निर्धारित समय	टंकण के लिये दिये गये कुल शब्द(लगभग)	शुद्वता का प्रतिशत
हिन्दी टंकण	15 शब्द प्रति मिनट	15 मिनट	250	85 प्रतिशत

4— <u>अशुद्वियों का चिन्हाकन तथा शुद्वता एवं टंकण गति के निर्धारण विषयक सूत्र</u>

(i) त्रुटि–

1–शब्द अथवा आकृति के लोप होने पर ।
2– गलत शब्द या आंकड़ों के प्रतिस्थापन पर।
3– किसी शब्द को आंकड़े या गद्यांश में न होने के बावजूद जोड़ना।
4– हस्तलिखित जोड़ / सुधार / सम्मिलन।

(ii) त्रुटि का आंकलन करके शुद्वता का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगाः–

$$\text{शुद्वता} = \frac{\text{शुद्व शब्दों की संख्या} \times 100}{\text{गद्यांश के कुल शब्दों की संख्या}}$$

(iii) $$\text{टंकण गति} = \frac{\text{अभ्यर्थियों द्वारा टंकित कुल शब्द}}{\text{अभ्यर्थियों द्वारा प्रयुक्त समय}}$$

कम्प्यूटर पर टंकण के लिए परीक्षा केन्द्र/स्थान पर प्राधिकृत एजेन्सी द्वारा कम्प्यूटर प्रदान किया जायेगा। अभ्यर्थियों को स्वयं का कीबोर्ड लाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा का आयोजन बोर्ड द्वारा निर्धारित केन्द्रों में कराया जायेगा। किसी भी अभ्यर्थी को कम्प्यूटर टंकण परीक्षा में कोई छूट अनुमन्य नहीं होगी।

यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है। अतः जो सूचनाएं इस सूचना/विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा।

24/11/17

अपर सचिव भर्ती,
उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।